कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमाक– 1521 /281/आउशि/बजट/2018 भोपाल, दिनांक– 5/7/2018

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय (नवीन प्रांरभ किये गये) महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय– नवीन प्रारंभ किये गये शासकीय महाविद्यालयों में बैंक खाता खोलने संबंधी।

उपरोक्त विषय में ज्ञात हो तो कि प्रशासकीय विभाग के आदेश क्रमांक एफ 23–1/2016/38–2, दिनांक 21/25.06.2018 द्वारा 44 नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किये गये है। इसी प्रकार इसके पूर्व में भी नवीन शासकीय महाविद्यालय एवं नवीन आदर्श महाविद्यालय प्रांरभ किये जाने के आदेश जारी किये गये है।

नवीन प्रांरभ किये गये शासकीय महाविद्यालयों एवं आदर्श महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2018–19 से प्रवेश प्रकिया प्रांरभ की गई है। नवीन शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्कों एवं महाविद्यालय संचालन हेतु अन्य कार्यो के लिए बैंक खातें की आवश्यकता होगी।

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विभिन्न योजनाओं/कार्यकमों हेतु बैंक खाता खोलने के संबंध में प्रशासकीय विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 19–15/2017/38–2, दिनांक 25.09.017 द्वारा निर्देश जारी किये गये है। (प्रति संलग्न है)

अतः नवीन प्रांरभ किये शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क तथा महाविद्यालय संचालन हेतु बैंक खाता खोलने के संबंध में प्रशासकीय विभाग के निर्देश दिनांक 25.9.2017 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

सलग्न– उपरोक्तानुसार

आयुक्त
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क. 1522 /281/आउशि/बजट/18, भोपाल, दिनांक 5/7/2018

प्रतिलिपि–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी उच्च शिक्षा विभाग,मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय भोपाल
2. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. अपर मुख्य सचिव,मध्य प्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
4. समस्त संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय,मध्यप्रदेश
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा,भोपाल
7. संबंधित कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

......की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक F-19/15 /2017/38-2 भोपाल,दिनांक 25-9-17

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषयः— शासकीय महाविद्यालयों द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु पृथक बैंक खाते खोले जाने संबंधी निर्देश ।

—00—

शासकीय महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कार्यों हेतु पृथक–पृथक बैंक खाते संचालित हैं जिससे कार्य संपादन में असुविधा होने के साथ ही वित्तीय अनियमितता की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों/निर्देशों को अधिकमित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में बैंक खाते निम्नानुसार संचालित किये जावे:—

स.क्र.	खाते का प्रकार	धनराशि का विवरण आवश्यकतानुसार
1	जनभागीदारी खाता	जनभागीदारी + स्ववित्त
2	यू.जी.सी. बैंक खाता	केवल यू.जी.सी.
3	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)	केवल रूसा
4	वर्ल्ड बैंक	केवल वर्ल्ड बैंक
5	ई.डी. खाता समेकित	अन्य समस्त निधियां एवं राशियां

शर्तें:—

(1) उपरोक्त खाते अधिकतम खातों की संख्या दर्शाते है ।

(2) वास्तविक संख्या उपरोक्त में से प्रचलित योजना/कार्यक्रम संचालित होने की स्थिति में ही निर्धारित होगी ।

(3) सभी खाते राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा शैड्यूल्ड बैंकों में ही खोले जाएं ।

(4) ई.डी. खातों के विषय में वित्त विभाग के निर्देशों का पालन किया जाएं ।

(5) उपरोक्तानुसार खाते ही अधिकतम संख्या में है इसके अतिरिक्त कोई अन्य खाता मान्य नहीं होगा ।

(6) इन खातों के अंतर्गत समस्त कार्यवाही एवं अभिलेख नियमानुसार संधारित किये जाएं

(7) प्रत्येक खाते का वार्षिक ऑडिट एवं रिकंसीलेशन करना प्राचार्य का उत्तरदायित्व होगा।

(8) अर्जित ब्याज उसी योजना की राशि मानी जाएगी ।

निरंतर..2..

वित्त विभाग के परामर्श अनुसार जनभागीदारी समिति योजनांतर्गत खोले गए बैंक खातों पर वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं है। जनभागीदारी योजनांतर्गत खोले गए बैंक खातों में कोषालय से आहरित संचित निधि की कोई भी राशि जमा नहीं की जावे ।

खाते संचालित/खोलने के पश्चात् उपरोक्तानुसार शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय भोपाल

पृ. क्रमांक ~~F.15-19/2017/38-2~~ 1915/2017/38-2 / भोपाल,दिनांक 3/11/17

प्रतिलिपिः–

1– महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
2– सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3– आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल ।
4– संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान(रूसा) मध्यप्रदेश भोपाल ।
5– समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश ।
6– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा/आई.टी.सेल, उच्च शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
7– समस्त संबंधित कोषालय/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
8– गार्ड फाईल ।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(9) [illegible]

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय भोपाल